

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: के.आर. खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती चुन्नी देवी पति श्री केवलाराम, जाति- रावल, निवासी- सिलदर, तहसील व  
जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. विशाल पुत्र श्री जयन्तीलाल, जाति-रावल, निवासी-सिलदर, तहसील व जिला-सिरौही,
2. ग्राम पंचायत, सिलदर जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिलदर
3. ग्राम पंचायत, सिलदर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सिलदर, तह. व जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 04/2021

“निगरानी अर्न्तगत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) की ओर से
3. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से

-: निर्णय :-


दिनांक 16 मार्च, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 (विशाल) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 831.25 वर्गफीट भूखण्ड का ग्राम पंचायत, सिलदर के संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.6.2018 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 33 दिनांक 15.6.2018 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी एवं अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1(एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

(3) पक्षकारान के अधिवक्ता की दिनांक 18.2.2021 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सिलदर में प्रार्थीया अपने परिवार सहित निवास करती है। प्रार्थीया के पति का नाम केवलाराम जी है एवं अप्रार्थी संख्या-1 जो कि प्रार्थीया का पोता है। प्रार्थीया के पति केवलाराम जी का पेढी पत्रक के अनुसार केवलाराम के वारिसान पत्नी प्रार्थीया चुन्नी देवी एवं प्रार्थीया के पुत्र जयन्तीलाल, भंवरलाल, भरतकुमार व श्रवण कुमार है तथा जयन्तीलाल के वारिसान में उसकी पत्नी लक्ष्मी एवं जयन्तीलाल के पुत्र/पुत्री विशाल, विपुल, मनीषा व कौशल्या है। ग्राम

.....पेज



अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

सिलदर में प्रार्थीया के पति का पुश्तैनी मकान व कब्जाशुदा भूमि आई हुई है जिसका नाप उत्तर 62 फीट, दक्षिण 50 फीट, पूर्व 72 फीट व पश्चिम 72 फीट कुल क्षेत्रफल 4032 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में जसवन्तपुरा सडक, पूर्व में गली 7 फीट व आगे जुजाराम का मकान व पश्चिम में प्रार्थीया के पति केवलाराम का अन्य मकान है। ग्राम सिलदर में प्रार्थीया के पति केवलाराम के मकान के पास ही उनके पुश्तैनी कब्जाशुदा व मालकी के मकान व भूमि, जिसमें आगे की तरफ दुकाने बनाई हुई है एवं जिस पर प्रार्थीया के पति केवलाराम एवं केवलाराम जी की मृत्यु के बाद केवलारामजी के सभी वारिसदार अर्थात् प्रार्थीया एवं उसके सभी पुत्र जयन्तीलाल, भंवरलाल, भरतकुमार व श्रवण कुमार रहे तथा जिसमें से प्रार्थीया व केवलाराम के सबसे बड़े पुत्र जयन्तीलाल की भी मृत्यु हो गई है। प्रार्थीया व उसके पति केवलाराम के परिवार में जयन्तीलाल सबसे बड़ा पुत्र था एवं वही पढा लिखा होने से सभी काम काज करता था तथा बाकी पुत्र रोजगार के सिलसिले में बाहर निवास करते थे। प्रार्थीया के पति के उक्त वर्णित पुश्तैनी मकान व भूमि पर प्रार्थीया के नाम से वर्ष 1999 में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा आगे की निर्मित दुकान भी प्रार्थीया द्वारा किराये पर दी हुई है, परन्तु प्रार्थीया के सबसे बड़े पुत्र जयन्तीलाल द्वारा प्रार्थीया, उसके पति केवलाराम एवं सभी अन्य पुत्रों की जानकारी के बिना गलत रूप से जयन्तीलाल ने स्वयं के नाम से पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को ग्राम पंचायत, सिलदर से बनवा लिया जिसकी जानकारी केवलाराम या उनके किसी भी वारिसदार को कभी भी नहीं रही है। उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त करवाने हेतु पंचायत प्रसार अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही द्वारा निगरानी आवेदन अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 23.3.2002 के द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त किया गया, जिसके विरुद्ध उक्त जयन्तीलाल ने जिन तथ्यों के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2704/2006 प्रस्तुत की गई, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.3.2008 को खारिज की जा चुकी है। जयन्तीलाल के नाम से जारी उक्त पट्टा संख्या 13 निरस्त होने के बाद जयन्तीलाल की भी वर्ष 2012 में मृत्यु हो गई। उसके बाद जयन्तीलाल की पत्नी लक्ष्मी देवी एवं जयन्तीलाल के पुत्री मनीषा तथा जयन्तीलाल के पुत्र विशाल व विपुल ने उक्त निरस्त पट्टा संख्या 13 को आधार बनाकर उसके आधार पर चार अलग-अलग पट्टे जयन्तीलाल की पत्नी लक्ष्मी व पुत्री मनीषा एवं पुत्र विशाल व विपुल ने बाजार दर पर भूमि को खरीद करना बताते हुए ग्राम पंचायत, सिलदर से बनवा लिये। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में बाजार दर पर जो पट्टा दिनांक 15.6.2018 को जारी किया है वह विधि विरुद्ध एवं गलत है, क्योंकि प्रश्नगत पट्टे की भूमि केवलाराम जी के स्वामित्व की है जिस पर केवलाराम जी के सभी वारिसदारों का बराबर व समान रूप से हक अधिकार है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा प्रश्नगत पट्टे की भूमि, मकान व निर्मित दुकाने आज भी केवलाराम जी के सभी वारिसदारों के संयुक्त कब्जे स्वामित्व की है, जिस पर सभी वारिसदार संयुक्त रूप से


...पेज तीन पर



*a*  
अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)


काबिज है, इस भूमि पर जयन्तीलाल अकेले का कभी कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत, सिलदर को केवलाराम जी के सभी वारिसदारों के संयुक्त स्वामित्व की भूमि का अप्रार्थी संख्या-1 के नाम से बाजार दर पर पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि जब इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही) ने ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा श्री जयन्तीलाल पुत्र केवलाराम जी के पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त कर दिया था तो उसी पट्टा संख्या 13 को आधार बनाकर उसी पट्टा संख्या 13 की भूमि के पुनः उक्त जयन्तीलाल के वारिसान के पक्ष में अलग अलग पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत आपसी बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय उन मामलों में ही किया जा सकता है, जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो, जहां कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलामी उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा और जहां तक नियम 144 के उप-नियम (1) और (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या-1 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत नहीं था तथा न ही ग्राम पंचायत ने ऐसा कोई ठोस कारण दर्शाया है कि नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती थी। ग्राम पंचायत, सिलदर ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 144 व 148 की पालना नहीं की है। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा जयन्तीलाल की पत्नी लक्ष्मीदेवी, पुत्री मनीषा व पुत्र विशाल व विपुल के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व तलसाराम व चतराराम के बयान लिये हैं जिसमें प्रश्नगत भूमि पर इनका 36 वर्ष पुराना कब्जा बताया है जबकि जयन्तीलाल की पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर उसकी पुत्री मनीषा, पुत्र विशाल व विपुल की उम्र 36 वर्ष नहीं है तो इनका 36 वर्ष पुराना कब्जा कैसे संभव हो सकता है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने विधिक प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। यह कि अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा ग्राम पंचायत, सिलदर में पट्टे हेतु दिनांक 06.3.2018 को आवेदन किया जाता है एवं उसी दिन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवाया जाता है उसके कुछ दिन बाद अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा ग्राम पंचायत, सिलदर में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि जिस भूमि का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया है वह भूमि उनके बाप दादाओं के समय से कब्जे की है। अप्रार्थी संख्या-1 व उक्त श्री जयन्तीलाल के अन्य तीन वारिसानों के पक्ष में जारी पट्टों के संबंध में ग्राम पंचायत, सिलदर के तत्कालीन सरपंच के कुरे पर काम करने वाले व्यक्ति के बयान कलमबद्ध कर प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 का पुराना कब्जा होना बताया जाता है, जबकि वह व्यक्ति ग्राम सिलदर का निवासी भी नहीं है। यह कि ग्राम पंचायत, सिलदर ने अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस प्रश्नगत पट्टे की भूमि के मौके पर चस्पा नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने प्रार्थीया के पति केवलाराम जी के कब्जे स्वामित्व की भूमि का अप्रार्थी संख्या-1 व उक्त श्री जयन्तीलाल के अन्य तीन वारिसान के पक्ष में पट्टा

.....पेज चार पर

  
जति. जि. कलक्टर  
सिरौही (राज.)


जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है जिससे प्रश्नगत पट्टे के संबंध में प्रार्थी को पूर्व से जानकारी नहीं थी। यह कि मौके पर जो दुकानें बनी हुईं वह प्रार्थी के पति ने बनाई थीं और उन दुकानों को अन्य व्यक्तियों को किराये पर दिया था उस किरायेनामों की छाया प्रतियां व विद्युत बिलों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जो पंचायत निगरानी संख्या: 01/2021 की पत्रावली के संलग्न किये गये हैं, जो काफी पुराने दस्तावेज हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष पुराने दस्तावेज की विश्वसनीयता पर सन्देह नहीं किया जाता है। यह कि अप्रार्थी संख्या-1 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर पुराना कब्जा नहीं रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधिक दृष्टान्त (2016) 3 DNJ 1202 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156- जिला कलक्टर द्वारा पट्टे का रद्दकरण - प्लॉट निर्जी बातचीत के जरिये बचा गया था- नियम 156 के प्रावधानों की पालना नहीं की - आवेदन में इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया कि अपीलार्थी का कब्जा कितना पुराना व किसी आधार पर सम्भाव्य था - केवल इसलिये कि नोटिस जारी किया गया था तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, पुराने कब्जे को दर्शित कराने के लिये पर्याप्त नहीं है - यह दर्शित करने के लिये कुछ भी नहीं कि पंचायत यह संतोष कर चुकी थी कि नीलामी में पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा - निर्धारित कलक्टर द्वारा पट्टा सही रद्द किया।" अप्रार्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ 370 मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 15122/2016 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 12.4.2017 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत आपसी बातचीत के आधार पर उन्ही परिस्थितियों में पट्टा जारी किया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति का स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलामी से उस भूमि की उचित कीमत प्राप्त न हो सके। चूंकि इस मामले में भी अप्रार्थी संख्या-1 का स्वत्व का कब्जा न्यायसंगत नहीं था व न ही पुराना कब्जा था, बल्कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि प्रार्थी के पति केवलाराम के सभी वारिसदारों के संयुक्त कब्जे व स्वामित्व की है जिस पर सभी का समान रूप से हक अधिकार है व मौके पर काबिज है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 का पुराना कब्जा नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या-1 के कथनों के आधार पर प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 का पुराना कब्जा साबित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या-1 ने प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 15.6.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के सबसे बड़े पुत्र जयंतीलाल का परिवार अलग से निवास करता है, ना कि प्रार्थी के साथ निवास करता है। प्रार्थी के बड़े पुत्र जयन्तिलाल जी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी गांव सिलदर में अपने पुत्र भरत कुमार व श्रवण कुमार के साथ निवास करती है। ग्राम सिलदर में

....पेज पांच पर

  
अति. जिला कलक्टर  
सिलदर (राज.)


पुश्तैनी मकान अवश्य आया हुआ है, लेकिन निगरानी आवेदन में जो नाप एवं चतुर्दशी अंकित की है, वह गलत एवं मिथ्या दर्शाई है। प्रार्थीया के पुश्तैनी मकान के पास प्रार्थीया की कोई कब्जेशुदा भूमि नहीं है एवं न ही कोई अस्तित्व में है। प्रार्थीया ने निगरानी में गलत नाप व चतुर्दशी अंकित कर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया पुश्तैनी मकान के पास जो कब्जेशुदा भूमि होना बता रही है, उस भूमि से प्रार्थीया का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह भूमि जयंतिलाल जी पुत्र केवलाराम जी रावल, निवासी- सिलदर के कब्जेशुदा भूमि थी एवं पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलाराम जी रावल, निवासी- सिलदर के पक्ष में पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया था। ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 की भूमि पर पुराना मकान बना हुआ नहीं होने से पंचायत प्रसार अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही द्वारा पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त कराने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था उस पंचायत निगरानी संख्या: 45/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.3.2002 के अनुसार पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 का जयन्तिलाल पुत्र केवलाराम जी रावल, निवासी- सिलदर के जरिये कब्जा वर्ष 1999 से चला आ रहा है और अप्रार्थी संख्या-1 का जयन्तिलाल जी के जरिये प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत था। अप्रार्थी संख्या-1 ने जवाब के साथ मौके का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया है उस नजरी नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ जो कि पुश्तैनी मकान है और जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी चुन्नीबाई व 1/2 हिस्से पर मृतक जयंतिलाल रहता था और उक्त पुश्तैनी मकान के पास जयंतिलाल की उक्त पट्टा संख्या 13 से संबंधित कब्जेशुदा भूमि आई हुई थी। वर्ष 2012 में जयन्तिलाल जी की मृत्यु के बाद उस भूमि पर जयन्तिलाल जी की पत्नि लक्ष्मी, दो पुत्रों विशाल व विपुल एवं पुत्री मनीषा काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या-1 व स्वर्गीय जयन्तिलाल जी अन्य तीनों वारिसानों ने जयन्तिलाल की कब्जेशुदा आवासीय भूमि का बाजार दर से पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, सिलदर में आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत, सिलदर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए बाजार दर अनुसार राशि पर भूमि विक्रय करने के संबंध में दिनांक 05.6.2018 को संकल्प संख्या 2 के द्वारा निर्णय पारित कर भूमि विक्रय पत्रावली का पंचायत समिति, सिरौही को अनुमोदन हेतु भिजवाई तथा भूमि के विक्रय का पंचायत समिति, सिरौही से अनुमोदन करवाकर ग्राम पंचायत, सिलदर ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर अप्रार्थी संख्या-1 व जयन्तिलाल जी के अन्य तीनों वारिसान के पक्ष में पट्टे जारी किये हैं, जो विधि अनुरूप है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-1 व जयन्तिलाल जी के अन्य वारिसान काबिज है एवं चारों तरफ चार दिवारी बनी हुई है एवं विशाल, विपुल, मनीषा एवं लक्ष्मीदेवी के दक्षिण दिशा की ओर आगे के भाग पर दो-दो दुकानों का निर्माण किया हुआ है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को प्रारम्भ से ही है। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने

....पेज छः पर

  
अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीया ने जो विद्युत बिल प्रस्तुत किये हैं वो केवल मात्र पुश्तैनी मकान में लिये हुये विद्युत कनेक्शन के बिल हैं। जयन्तिलाल जी के वारिसानों पत्नी लक्ष्मी, पुत्र विपुल व विशाल व पुत्री मनीषा की निर्मित दुकानों से प्रार्थीया का कोई लेना-देना नहीं है एवं प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत विद्युत बिल इन दुकानों अथवा प्रश्नगत पट्टे की भूमि के नहीं हैं। जयन्तिलाल जी के वारिसान ने उक्त निर्मित दुकानों को अभी तक किसी को किराये पर नहीं दिया है एवं उक्त निर्मित दुकाने जयन्तिलाल जी के विधिक वारिसान के कब्जे स्वामित्व की है एवं इस सम्पति से प्रार्थीया का कोई लेना देना नहीं है तो इन दुकानों को किराये पर देने का प्रार्थीया को कोई अधिकार ही नहीं है एवं प्रार्थीया ने इन दुकानों को किराये पर देने का यदि एप्रीमेट किया है तो वह फर्जा एवं कूटरचित है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या-1 कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी संख्या-1 व उसके भाई व परिवारजन के भूखण्ड आये हुए है जो विभाजित नहीं होकर एक ही भूखण्ड है एवं उसके दक्षिण दिशा की ओर चार दुकानों का निर्माण किया हुआ है, जो पत्रावली पर उपलब्ध फोटो से स्पष्ट जाहिर है। यह कि अप्रार्थी संख्या-1 व उसका भाई विशाल अपने व्यवसाय के कारण मुम्बई होने से उनके नहीं होने का गलत फायदा उठाकर उनकी गैरहाजरी में प्रार्थीया ने जो कि उसके पुश्तैनी मकान में नजरी नक्शे में अंकित मार्क बी.डी.ई.एफ. वाले भाग पर निवास करती है और उसकी नीयत में खोट आ जाने से दिनांक 04.01.2021 को उसके मकान की दीवार को तोड़कर अप्रार्थी संख्या-1 के भूखण्ड पर कब्जा करने की नीयत से जोर-जबरदस्ती अप्रार्थी संख्या-1 की भूमि में दरवाजा खोलकर टीनशेड कमरे का निर्माण कर लिया है, जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या- 1 व उसका भाई मुम्बई से अपने गांव आये एवं प्राथम्य को अवैध निर्माण हेतु कहने पर प्रार्थीया व उसके पुत्र भंवरलाल व श्रवण कुमार मरने-मारने पर उतारू हुए, जिस पर अप्रार्थी संख्या- 1 ने पुलिस थाना कालन्दी में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके सी.आर नम्बर 4/2021 है। प्रार्थीया ने अपने पुत्रों की बातों में आकर अप्रार्थी संख्या-1 व अप्रार्थी संख्या-1 के परिवारजनों को हैरान व परेशान करने की नीयत से मनगढ़त तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलाराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को जारी किया गया था उस पट्टे को निरस्त कराने हेतु पंचायत प्रसार अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही द्वारा इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 45/2021 प्रस्तुत की गई, जिसमें इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पक्षकारान पारित निर्णय दिनांक 23.3.2002 के द्वारा उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस पर पुराना मकान निर्मित नहीं होकर मौके पर भूमि खाली पड़ी है। उक्त निर्णय दिनांक 23.3.2002 के विरुद्ध श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलाराम जी रावल ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या 2704/2006 प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 25.3.2008

....पेज सात पर



अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

को खारिज हो चुकी है। उसके बाद वर्ष 2017 तक ग्राम पंचायत, सिलदर में किसी ने आवेदन नहीं किया। वर्ष 2018 में जयन्तिलाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या-1 व अन्य ने पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 से संबंधित भूमि के पट्टे बनवाने हेतु ग्राम पंचायत, सिलदर में आवेदन प्रस्तुत किये। जिस पर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा नियमानुसार मिसल कायम की जाकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में आवादी भूमि विक्रय के संबंध में प्रदत्त प्रावधानों का पालन करने हुए अप्रार्थी संख्या-1 व श्री जयन्तिलाल के अन्य विधिक वारिसान में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत पट्टे जारी करने का ग्राम पंचायत, सिलदर की बैठक दिनांक 05.6.2018 में सकल्प संख्या 2 के द्वारा निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा पंचायत समिति, सिरोही को विक्रय के अनुमोदन के लिये पत्रावलियों भिजवाई गई एवं पंचायत समिति, सिरोही से विक्रय का अनुमोदन होने के बाद बाजार दर अनुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकरण में विवाद कब्जे मालकी का है। खांचा भूमि का झगडा नहीं है। पंचायत के पास आवेदन प्राप्त होने पर ही पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया है। इस प्रकरण में विवाद प्रार्थीया एवं उसके पुत्र जयन्तिलाल के वारिसान के मध्य है। निगरानी में साक्ष्य एकत्रित नहीं की जा सकती है तथा न ही पंचायत साक्ष्य एकत्रित कर सकती है। सम्पत्ति पर कब्जे स्वामित्व के विवाद का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, सिलदर ने जिस दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक)के पक्ष में पट्टा जारी किया है वह दस्तावेज प्रोपर है या नहीं? इस तथ्य को ही इस न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। अतः प्रकरण इस न्यायालय द्वारा जो भी विधि सम्मत निर्णय पारित किया जायेगा, उसकी पंचायत द्वारा पालना की जायेगी।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत क्षेत्रफल 831.25 वर्गफुट भूखण्ड का ग्राम पंचायत, सिलदर के संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.6.2018 के अनुसरण में एवं पंचायत समिति, सिरोही से विक्रय का अनुमोदन होने पर पट्टा संख्या 33 दिनांक 15.6.2018 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और नीलामी से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती हो या जहां अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती है कि नीलामी उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं हो, ऐसे मामलों में भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा आपसी बातचीत के द्वारा विद्यमान बाजार कीमत पर अन्तरण किया जा सकता है।

प्रार्थीया का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रश्नगत पट्टे की भूमि प्रार्थीया के पति केवलाराम जी के पुराने कब्जे-स्वामित्व की थी, जिस पर केवलाराम जी के सभी वारिसदारों का समान रूप से हक अधिकार है एवं मौके पर केवलाराम जी के सभी वारिसदार संयुक्त रूप से काबिज है तथा विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थीया के नाम से लिया हुआ है।" प्रार्थीया ने अपने कथन के समर्थन में विद्युत बिल की प्रतियां प्रस्तुत  
....पेज आठ पर

*a*  
अति निगरानी अधिकारी  
सिरोही (राज.)


की है, लेकिन इन विद्युत बिलों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत बिल प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति से ही संबंधित हो। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि प्रार्थीया के पति केवलराम जी के कब्जे-स्वामित्व की ही हो एवं उस भूमि पर केवलराम जी के सभी विधिक वारिसान संयुक्त रूप से काबिज हो। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को जारी किया गया था। इस पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 की भूमि के मौके पर उस समय पुराना आवासीय मकान बना हुआ नहीं होने व भूमि मौके पर खाली होने से पंचायत प्रसार अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोंही ने उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त कराने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोंही में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था। जो इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोंही) में पंचायत निगरानी संख्या: 45/2001 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या: 45/2001 व अन्य पंचायत निगरानी प्रकरणों में संयुक्त रूप से पारित निर्णय दिनांक 23.3.2002 के अनुसार ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 को निरस्त किया गया था। इस न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोंही) द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 31.3.1999 के विरुद्ध श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिलदर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटीशन संख्या: 2704/2006 को प्रस्तुत की गई, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2008 के द्वारा खारिज की गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 के पिता श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलराम जी रावल, निवासी- सिलदर का दिनांक 31.3.1999 से कब्जा था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत बाजार दर पर जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलराम जी, जाति- रावल, निवासी- सिलदर के पक्ष में पूर्व में जारी उक्त पट्टा संख्या 13 दिनांक 31.3.1999 से संबंधित भूमि है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का अपने पिता श्री जयन्तिलाल पुत्र केवलराम जी रावल, निवासी- सिलदर के जरिये स्वत्व का दावा न्यायसंगत है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का प्रश्नगत पट्टे की भूमि का विद्यमान बाजार कीमत पर विक्रय/अन्तरण किया गया है एवं इस विक्रय/अन्तरण का पंचायत समिति, सिरोंही की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.6.2018 के प्रस्ताव संख्या 01 के द्वारा अनुमोदन किया जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोंही के पत्र क्रमांक:पंससि/पंचायत/2018/141 दिनांक 14.6.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत, सिलदर की

.....पेज नौ पर

*d*  
अति. जिला न्यायाधीश  
सिरोंही (राज.)

पत्रावली ग्राम पंचायत, सिलदर को भिजवाई गई है। उसके बाद ग्राम पंचायत, सिलदर द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि मौके पर पक्का निर्माण किया हुआ है अर्थात् वर्तमान में भूमि मौके पर खाली नहीं है। चूंकि इस प्रकरण में विवाद प्रश्नगत पट्टे की सम्पत्ति के कब्जे स्वामित्व का है एवं यह विवाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 (जो कि आपस में रिश्ते में दादी व पोता है) के मध्य है। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि प्रार्थीया के पति केवलराम जी के कब्जे स्वामित्व की ही हो। वैसे भी भूमि पर कब्जे स्वामित्व के विवाद का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही